प्रमण्डलीय आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा की अध्यक्षता में दिनांक–05.02.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न से आयोजित सभी पुलिस थानों/ओ०पी० में CCTV कैमरे के अधिष्ठापन एवं निगरानी हेतु गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLOC) की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

सर्वप्रथम वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े पुलिस उप महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सहरसा/मधेपुरा एवं सुपौल/पुलिस अधीक्षक, सहरसा/मधेपुरा एवं सुपौल का स्वागत किया गया। तदोपरान्त पुलिस थानों/ओ0पी0 में CCTV कैमरे के अधिष्ठापन् से संबंधित विषय पर जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLOC) की बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा पुलिस जिला अन्तर्गत पुलिस थानों में अधिष्ठापित कैमरों की विवरणी :–

क्र0 सं0	जिला/ पुलिस जिला	अधिष्ठापित/ कार्यरत PTZ कैमरा	अधिष्ठापित/ कार्यरत Bullet कैमरा	अधिष्ठापित/ कार्यरत Extra कैमरा	अधिष्ठापित/ कार्यरत CCTV कैमरा	अधिष्ठापित/ कार्यरत MIC कैमरा
1	सहरसा	23/23	252/250	0/0	275/272	102/101
2	सुपौल	26/22	247/239	23/22	297/284	66/66
3	मधेपुरा	21/20	247/237	31/29	298/285	69/69

सहरसा जिलान्तर्गत साइबर/यातायात थाना में कैमरा नहीं लगाया गया है। सोनवर्षा राज तथा परसपार थाना में View Screen की स्थिति खराब है एवं कनरिया थाना में पावर बैकअप की स्थिति खराब है। इसके संबंध में जल्द से जल्द कैमरा लगवाने, पावर बैकअप एवं View Screen ठीक करने हेतु TASL के प्रतिनिधि को 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर सभी खराब उपकरणों को ठीक करने का निदेश दिया गया है। अन्य थानों/ओ0पी0 में अधिष्ठापित कैमरा कार्यरत अवस्था में है। जिला पदाधिकारी, सहरसा को निदेश दिया गया कि TASL के मुख्यालय स्तरीय प्रतिनिधि से संपर्क कर सभी कठिनाईयों का निराकरण करवाने की कार्रवाई की जाय।

सुपौल जिलान्तर्गत थानों/ओ0पी0 में अधिष्ठापित कैमरा कार्यरत है। साइबर थाना एवं यातायात थाना में कैमरा लगाने का कार्य प्रक्रियाधीन है एवं अन्य थाना/ओ0पी0 में अधिष्ठापित खराब कैमरा को TASL के प्रतिनिधि से संपर्क कर 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर ठीक करवाने हेतु निदेश दिया गया।

मधेपुरा जिलान्तर्गत थानों/ओ0पी0 में अधिष्ठापित कैमरा कार्यरत अवस्था में है। साइबर थाना/यातायात थाना/रतवाड़ा थाना/घैलाढ़ ओ0पी0 एवं मठाई शिविर में CCTV कैमरा नहीं लगवाया गया है। इसके संबंध में जल्द से जल्द कैमरा लगवाने हेतु TASL के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया तथा खराब कैमरा को 15 दिनों के अंदर बदलने हेतु निदेशित किया गया।

जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, सहरसा/सुपौल/मधेपुरा को निदेश दिया गया कि एजेंसी से किये गये अनुबंध पत्र की समीक्षा कर खराब उपकरणों के मरम्मति/प्रतिस्थापन/पेनाल्टी के संबंध में जानकारी प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करें। पुलिस अधीक्षक, सहरसा/सुपौल/मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जिला स्तर पर बनाये गये व्हाट्सएप ग्रुप में सभी थानों के थाना प्रभारी द्वारा थानों में अधिष्ठापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों एवं उपकरणों में खराबी आने पर इसकी सूचना अविलम्ब देने हेतु सभी थाना प्रभारी को निदेशित करेंगे तथा TASL के क्षेत्रीय अभियंता व्हाट्सएप ग्रुप में सूचना प्राप्त होते हीं अविलम्ब संबंधित थानों से सम्पर्क स्थापित कर सी0सी0टी0वी0 कैमरों एवं उपकरणों की मरम्मति कर क्रियाशील करायेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/-
आयुक्त,
कोशी प्रमण्डल, सहरसा।

ज्ञापांकः– सं०सं०–05–01/2021/445/सा0 सहरसा, दिनांक 6-2-2025

प्रतिलिपिः– पुलिस उप महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, सहरसा/सुपौल/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, सहरसा/सुपौल/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– प्रबन्ध निदेशक, बेल्ट्रॉन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– Project Manager, Tata Advance System Ltd., पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
आयुक्त,
कोशी प्रमण्डल, सहरसा।

ज्ञापांकः– सं०सं०–05–01/2021/445/सा0 सहरसा, दिनांक 6-2-2025

प्रतिलिपिः– पुलिस उप महानिरीक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी, CCTV परियोजना, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
आयुक्त,
कोशी प्रमण्डल, सहरसा।

ज्ञापांकः– सं०सं०–05–01/2021/445/सा0 सहरसा, दिनांक 6-2-2025

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

06/2/2025
आयुक्त,
कोशी प्रमण्डल, सहरसा।